

बिहार सरकार

बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद

आई०ए०एस०संघ भवन, पटना हवाई अड्डा के निकट, पटना-14

विज्ञापन संख्या- बी.सी.ई.सी.ई.बी.(डी.सी.ई.सी.ई.)-2023/07 दिनांक- 30.08.2023

डिप्लोमा-सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा-2023

सरकारी / निजी क्षेत्र के पॉलिटिकनिक (अभियंत्रण) [PE] कॉलेजों में प्रवेश हेतु ONLINE MOP-UP COUNSELLING से सम्बन्धित आवश्यक सूचना

डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा-2023 के PE कोर्स ग्रुप में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों / सम्बन्धित संस्थान के प्राचार्य तथा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि DCECE(PE)-2023 की पूर्व प्रकाशित मेधासूची के आधार पर प्रथम अथवा द्वितीय चक्र की online counselling के माध्यम से सरकारी / निजी क्षेत्र के पॉलिटिकनिक संस्थानों में पॉलिटिकनिक अभियंत्रण के विभिन्न पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में हुए सीट आवंटन तदनुसार नामांकन के पश्चात् शेष रिक्तियों की पाठ्यक्रमवार/ संस्थानवार / कोटिवार रिक्तियाँ पर्षद की वेबसाइट bceceboard.bihar.gov.in पर उपलब्ध करा दी गयी हैं। इन सीटों को भरने हेतु **Online Mop-up Counselling आयोजित होगा।**

(2) वैसे अभ्यर्थी जो 1st round online Counselling हेतु किसी कारण से Registration-cum-Choice filling नहीं कर पाये थे, वे भी इस online Mop-up Counselling के लिए पात्रता-प्राप्त हैं। Online Mop-up Counselling में भाग लेने हेतु अभ्यर्थी Counselling portal के माध्यम से Registration कर अधिक से अधिक संख्या में College / Branch का Choice filling करेंगे। Registration-cum-Choice filling से सम्बन्धित प्रक्रिया तथा विस्तृत जानकारी विज्ञापन संख्या- बी.सी.ई.सी.ई.बी.(डी.सी.ई.सी.ई.)-2023/05 दिनांक- 27.07.2023 के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, जो पर्षद के वेबसाइट पर उपलब्ध है।

(3) जो अभ्यर्थी DCECE(PE)-2023 की प्रथम अथवा द्वितीय चक्र की online counselling के माध्यम से सरकारी / निजी क्षेत्र के पॉलिटिकनिक संस्थानों में नामांकन ले चुके हैं अथवा जिनका प्रथम एवं द्वितीय चक्र की कॉउन्सेलिंग से सीट आवंटन नहीं हुआ है और Mop-up Counselling भाग लेना चाहते हैं अथवा किसी कारण से उनका आवंटित सीट रद्द कर दिया गया है अथवा किसी कारण से अपने Reporting Centre पर जा कर Document Verification नहीं करा पाये हैं, वैसे सभी अभ्यर्थी भी Online Mop-up Counselling के लिए पात्रता-प्राप्त हैं। ऐसे अभ्यर्थियों को Online Mop-up Counselling में भाग लेने हेतु सर्वप्रथम पर्षद के वेबसाइट पर उपलब्ध "Online Counselling Portal of DCECE-2023" link पर Click करेंगे तत्पश्चात अपने पूर्व से पंजीकृत User ID एवं Password से अपने Account में login कर "Willingness for participating in Online Mop-up Counselling" link पर click कर अपना Willingness देंगे। यह प्रक्रिया OTP Authentication के माध्यम से की जायेगी, जिसे अभ्यर्थी के पंजीकृत / Registered मोबाईल नं. एवं email ID पर भेजा जायेगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि पंजीकृत मोबाईल नं. एवं email ID को किसी भी शर्त पर बदला नहीं जा सकता है। Willingness देने के उपरांत अभ्यर्थी पूर्व में भरे गये Choices में बदलाव (Edit) अर्थात अपने Choices के sequence को बदल सकते हैं अथवा Choice को delete कर सकते हैं अथवा नया Choice जोड़ सकते हैं। Willingness देने के उपरांत अगर कोई अभ्यर्थी अपने पूर्व के भरे गये choices में किसी प्रकार का बदलाव नहीं करते हैं तो उनका सीट आवंटन पूर्व के ही choices के आधार पर किया जायेगा।

(4) अभ्यर्थियों Choices भरने के क्रम में अपने प्राथमिकता अनुसार अधिक से अधिक Colleges एवं Branch का चयन करें। Choice भरने के उपरांत अभ्यर्थी निर्धारित अंतिम तिथि तक अपने Choice को Edit कर सकते हैं। दिये गये Schedule के अनुसार अभ्यर्थी अपने द्वारा भरे गये Choices से संतुष्ट हैं तो अपने choice को Lock कर दें। Choice locking उपरांत अभ्यर्थी अपने द्वारा भरे गये Choices में अगर किसी प्रकार का बदलाव करना चाहते हैं तो वे "Unlock Choices" बटन पर click करें तथा अपने Registered Mobile no. तथा email पर प्राप्त OTP को Authenticate / Verify कर choices में बदलाव निर्धारित अंतिम तिथि तक कर सकते हैं। तदुपरांत अभ्यर्थी अंतिम रूप से भरे गये choices को पुनः lock कर दें। अगर अभ्यर्थी निर्धारित अंतिम तिथि तक अपना Choice lock नहीं करते हैं तो उनका choice निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के तुरंत बाद स्वतः Lock हो जायेगा। अंतिम तिथि उपरांत choice में किसी प्रकार के बदलाव का प्रावधान नहीं होगा। अभ्यर्थी अपने द्वारा भरे गये choices का Print-out निकाल कर भविष्य के लिए अपने पास सुरक्षित रख लें।

नोट : Registration, Choice Locking एवं Unlocking की प्रक्रिया OTP Authentication के माध्यम से की जायेगी, जिसे अभ्यर्थी के पंजीकृत / Registered मोबाईल नं. एवं email ID पर भेजा जायेगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि पंजीकृत मोबाईल नं. एवं email ID को किसी भी हालात एवं शर्त पर बदला नहीं जा सकता है।

(5) अगर कोई अभ्यर्थी online Mop-up Counselling हेतु उक्त प्रक्रिया अनुसार नया Registration-cum-Choice filling या Willingness देने की प्रक्रिया पूरा नहीं करते हैं तो वे इस online Mop-up Counselling के लिए पात्रता प्राप्त नहीं होंगे।

(6) अंतिम रूप से भरे गये Choices की List (सूची) Seat Allotment से पूर्व अभ्यर्थी के पंजीकृत email ID पर email के माध्यम से भेजी जाएगी।

(7) यह online Mop-up Counselling DCECE-2023 के आधार पर PE Course Group में नामांकन हेतु अन्तिम कॉउन्सेलिंग होगा, इसके उपरांत PE Course Group का नामांकन समाप्त हो जायेगा।

(8) वैसे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने निर्धारित अंतिम तिथि तक Choice Filling किया है, के आधार पर Online Seat Allotment किया जायेगा।

(9) अभ्यर्थी अपना सीट आवंटन Result देखने हेतु निर्धारित तिथि से अपने Account में login कर अपना सीट आवंटन result देख सकते हैं।

(10) DCECE-2023 (PE) के लिए Online Mop-up Counselling से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ निम्नवत् हैं;

Sl. Time Schedule	Date & Time
i. Seat Matrix posting for online Mop-up Counselling on website	30.08.2023
ii. Starting date of Willingness-cum-Choice filling / Registration -cum-Choice filling for seat allotment	02.09.2023
iii. Last date of Willingness-cum-Choice filling / Registration-cum-Choice filling for seat allotment & Locking	07.09.2023
iv. Mop-up Counselling provisional Seat Allotment Result publication date	13.09.2023
v. Downloading of Allotment Order (Mop-up Counselling)	13.09.2023 to 15.09.2023
vi. Document Verification and Admission (Mop-up Counselling)	14.09.2023 to 15.09.2023

(11) इन्टरनेट व्यवधान के लिए पर्षद उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी अंतिम तिथियों का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।

(12) Document Verification के समय DCECE-2023 के उपरोक्त पाठ्यक्रम समूह में पात्रता प्राप्त आवंटित प्रत्येक अभ्यर्थी को अपने Reporting / Nodal Centre पर विवरण पुस्तिका के पृष्ठ 1 एवं 2 में उल्लिखित सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत सभी निम्नांकित मूल प्रमाण-पत्र / दस्तावेज एवं एक-एक स्वसत्यापित फोटो प्रति के साथ लाना अनिवार्य है।

- (i) मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा का (क) मूल प्रवेश-पत्र, (ख) मूल अंक-पत्र तथा (ग) मूल/ औपबधिक प्रमाण-पत्र (जन्म तिथि प्रमाण हेतु)।
- (ii) डिप्लोमा-सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा (डी.सी.ई.सी.ई.)-2023 का मूल प्रवेश-पत्र (Admit Card) तथा उसमें लगाए गए फोटोग्राफ की छः अतिरिक्त प्रतियाँ।
- (iii) मूल जाति प्रमाण-पत्र (iv) मूल आवासीय प्रमाण-पत्र (v) चरित्र प्रमाण-पत्र (vi) विवरण पुस्तिका के पृष्ठ 1 एवं 2 में वर्णित अन्य प्रमाण-पत्र, जहाँ लागू हों, यथा- सैनिक कर्मचारी कोटा (SMQ) हेतु सैनिक कर्मचारी प्रमाण-पत्र, Economical Weaker Section (EWS) प्रमाण-पत्र तथा विकलांगता कोटा (DQ) हेतु विकलांगता प्रमाण पत्र आदि। आरक्षित कोटि का लाभ लेने वाले प्रत्येक उम्मीदवारों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने मूल निवास से सम्बन्धित सक्षम प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा निर्गत मूल जाति प्रमाण पत्र साक्षात्कार / पात्रता सत्यापन के समय अवश्य जमा करें। उम्मीदवार द्वारा जमा किये जाने वाले जाति प्रमाण पत्र में उल्लिखित आरक्षण कोटि वही होनी चाहिये जो डी.सी.ई.सी.ई.-2023 में सम्मिलित होने के लिये निर्गत उसके प्रवेश पत्र में उल्लिखित हो।
- (vii) Copy of Aadhar Card
- (viii) DCECE(PE)-2023 के लिए online किये गये Application Form के Part-A एवं Part-B की Hard Copy
- (ix) Rank Card of DCECE (PE)-2023
- (x) The Verification Slip (जाँच-पर्ची) in 2 copies as downloaded alongwith Biometric Form in 1 copy साक्षात्कार / Counselling के समय साथ लाना अनिवार्य है।

(13) कॉउन्सेलिंग / Document Verification की तिथि तक वांछित शैक्षणिक योग्यता [विवरण पुस्तिका की कंडिका-4.1 एवं 5.1] के अनुसार उत्तीर्णता आवश्यक है अन्यथा वे नामांकन के हकदार नहीं होंगे।

(14) अगर अभ्यर्थी को Mop-up Counselling में कोई सीट आवंटन होता है तो, अभ्यर्थी Provisional Allotment Order पर छपे हुए Reporting Centre पर निश्चित रूप से report कर अपना Document Verification करायेंगे एवं निर्धारित अवधि में नामांकन लेंगे, अन्यथा उनका उक्त आवंटित सीट रद्द हो जायेगा।

(15) वैसे अभ्यर्थी जो प्रथम अथवा द्वितीय चक्र की Online Counselling द्वारा किसी संस्थान में नामांकित है, परंतु इस Mop-up Counselling में भी उनका आवंटित सीट यानि Colleges एवं Branch Retain (अर्थात् कोई बदलाव नहीं हुआ) रह जाता है तो वैसे स्थिति में अभ्यर्थी को पुनः Document Verification हेतु Reporting Centre पर जाने की आवश्यकता नहीं है। वे यथावत नामांकित रह जायेंगे, परन्तु यदि कोई बदलाव संस्थान अथवा ब्रांच में होता है तो उनके लिए कंडिका-14 लागू होगा।

परीक्षा नियंत्रक